न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र सं. 27/2020

ताजू खां बनाम उम्मेदअली व अन्य

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश

दिनांक : 26.07.2021

प्रार्थी ताजू खां पुत्र वईया खां जाति मुसलमान निवासी काछबाणियों की बस्ती देरासर तहसील रामसर जिला बाड़मेर की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर सहायक कलक्टर (एसडीओ) रामसर के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद सं. 07/2011 ताजू खां बनाम उम्मेद अली को अन्यत्र न्यायालय में स्थानान्तरित करने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी उम्मेद अली की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौरान सुनवाई प्रकट किया कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली किसी भी न्यायालय को स्थानान्तरित की जाती हैं तो उन्हे कोई आपत्ति नही हैं।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र एवं अप्रार्थी के द्वारा प्रकट तथ्यों के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत राजस्व वाद सं. 07/2011 व आवेदन सं. 10/2011 अनवान ताजू खां बनाम उम्मेद अली सहायक कलक्टर (एसडीओ) रामसर से सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर के न्यायालय में अग्रिम सुनवाई एवं निस्तारण हेतु स्थानान्तरित किया जाता हैं। उभय पक्षकारान वाद में अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 10.08.2021 को सहायक कलक्टर (एसडीओ) बाड़मेर के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही करें।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Lok
(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर बाड़मेर

क्रमांक : वाद/2021/ 729-732
दिनांक : 27.07.2021

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सहायक कलक्टर (एसडीओ) रामसर/बाड़मेर (मय मूल पत्रावली)
2. अधिवक्ता प्रार्थी/अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.07.28 17:04:38 IST
Reason: SelfAttested

Lok
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर बाड़मेर